फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.), मुकाम–सिरोही(राज.)

प्रार्थी		अप्रार्थी
श्री मानसिंह पुत्र लाखसिंहजी जाति राजपूत नि. निम्बोडा तहसील व जिला सिरोही	बनाम	1.स्टेट, जरिये तहसीलदार, सिरोही

किस्म मुकदमा,

राजस्व प्रा.पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट रा.प्रा.पत्र सं. 181/2023

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
23–12–24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील श्री जगदीश कुमार व स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित । अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/कोर्ट/2024/1046 दिनांक 29–10–2024 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार मौजा निम्बोडा के वर्तमान जमाबंदी 2070–2073 के खाता संख्या 22 में प्रार्थी का नाम मोहनसिंह पुत्र लाखसिंह दर्ज है जो गलत है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान के समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, राशन–कार्ड में प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम मानसिंह पुत्र लाखसिंह राजपूत है । अत मौजा निम्बोडा के वर्तमान जमाबंदी 2070–2073 के खाता संख्या 22 में प्रार्थी का गलत नाम मोहनसिंह पुत्र लाखसिंह के स्थान पर मानसिंह पुत्र लाखसिंह किया जाना उचित होना बताया है। प्रकरण में वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है मौजा निम्बोडा के वर्तमान जमाबंदी 2070–2073 के खाता संख्या 22 में प्रार्थी का गलत नाम मोहनसिंह पुत्र लाखसिंह के स्थान पर मानसिंह पुत्र लाखसिंह कर उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही (राज.)	